राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

एफ.7 (22) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक / संस्कृत शिक्षा / 2019–20 / 327 दिनांक : 25.06.21

प्राध्यापक–(संस्कृत शिक्षा) परीक्षा–2020 के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विचारित सूचियाँ दिनांक 08.04.2020, 09.04.2021 एवं 16.04.2021 को (कुल विषय–09) जारी कर दी गई हैं। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउन्सलिंग के माध्यम से की जायेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का अन्तिम परिणाम जारी किया जायेगा। आयोग द्वारा कांउसलिंग दिनांक 05.07.2021 एवं 06.07.2021 (कुल 02 दिवस) को कांउसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर अजमेर में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 30.06.2021 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निम्न काउंसलिंग कार्यक्रमानुसार व्यक्तिशः उपस्थित होवें।

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार / दिनांकवार निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	विषय	काउन्सलिंग की दिनांक	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	राजनीति विज्ञान	05.07.2021	23
2	अर्थशास्त्र		04
3	धर्मशास्त्र		04
4	सामान्य दर्शन		04
5	जैन दर्शन		04
6	न्याय दर्शन		04
7	यजुर्वेद		07
8	गणित	06.07.2021	05
9	ज्योतिष		21

इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोरोना (कोविड-19) महामारी के मद्देनजर कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अनुसार काउंसलिंग दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना (कोविड-19) जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से लेकर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करे।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। **काउन्सलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।**

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव